[1995] 2 उम० नि० प० 161

महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही समिति और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

18 जुलाई, 1994

न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी, न्यायमूर्ति पी० बी० सावंत, न्यायमूर्ति एम० एम० पुंछी, न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल और न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह

संविधान, 1950—अनुच्छेद 335, 338, 341 और 342—सपठित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध करना और उन्हें आरक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध कराना—अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का दूसरे राज्य में प्रवास—प्रवास वाले राज्य द्वारा ऐसे प्रवासी को आरक्षण की सुविधा देने से इनकार—प्रवासी व्यक्ति अपने मूल राज्य के प्रमाण-पत्र के आधार पर दूसरे राज्य में जहां वह प्रवास करके गया है, आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं है।

प्रस्तुत मामले में याची ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से यह रिट याचिका फाइल की है। इस याचिका में मुख्य प्रश्न यह उठाया गया है कि जहां "क" राज्य का कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित है, जो संविधान के प्रयोजन के लिए राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट है किसी "ख" राज्य में प्रवास कर जाता है जहां उसी नाम की जाति या जनजाति संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में "ख" राज्य के लिए विनिर्दिष्ट है तो वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए "ख" राज्य में संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध प्रसुविधाओं और लाभों का हकदार होगा या नहीं? प्रस्तुत मामले में आंध्र प्रदेश राज्य से "गौड़ा" जनजाति का एक व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य में प्रवास कर गया था जिसे चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षण कोटे का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। याची ने अपने आरक्षण के अधिकार के लिए रिट याचिका फाइल की जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—प्रमाण-पत्र इस बात पर ध्यान दिए बिना जारी किया जाएगा कि प्रश्नगत जाति/जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की बाबत जहां व्यक्ति प्रवास में गया है अनुसूचित है या नहीं। निश्चय ही इस सुविधा से उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी हैसियत में एक राज्य या दूसरे राज्य की बाबत कोई परिवर्तन नहीं होता प्रमाण-पत्र का पुनरीक्षित प्रारूप परिचालित किया गया था। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के राज्य से किसी राज्य में शिक्षा, नियोजन आदि के लिए प्रवास किया है उसे केवल अपने मूल-राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा और यह उसी राज्य से फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा और उस राज्य से नहीं जिस राज्य से उसने प्रवास किया है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को अग्रेपित स्पष्टकारी आदेश के जरिए मात्र यही सुविधा दी गई है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के विहित प्राधिकारी जहां कोई व्यक्ति प्रवास करके गया है। प्रवास करने वाले व्यक्ति के लिए पिता के जन्म वाले राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समुचित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। परन्तु विहित प्राधिकारी इस मामले में जन्म वाले राज्य के जरिए जांच कर सकता है यदि उसके मन में इस बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की बाबत होगा जहां से सम्बद्ध व्यक्ति प्रवास करके गया है और उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की बाबत नहीं होगा जहां वह प्रवास करके गया है। इसलिए प्रवासी व्यक्ति ऐसे प्रमाण-पत्र के बल पर उस राज्य में लाभ पाने का हकदार नहीं होगा जहां वह प्रवास करके गया है। (पैरा 7)

अनुच्छेद 15 और 16 में पिछड़ेपन की जो धारणा है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है और इसलिए किसी जाति या किसी जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में पूरे देश के लिए सामान्यीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए एक राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के लिए राज्य में आवश्यक प्रतिरक्षा और प्रसुविधा प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि समान्यता लाई जा सके किन्तु हो सकता है कि जिस राज्य से उसने प्रवास किया है वहां का सामाजिक वातावरण उसके मूल राज्य के वातावरण के समान न हो और इसलिए वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस राज्य में जहां उसने प्रवास किया है उपलब्ध लाभों और प्रसुविधाओं का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए याचियों की यह दलील कि प्रवास करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति की जाति या जनजाति परिवर्तित नहीं हो जाती और यदि ऐसे व्यक्ति रियायत, सुविधा और विशेषाधिकार जो, उस राज्य के लिए जहां से उसने प्रवास किया है में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध हैं देने से इनकार किया जाता है तो ऐसा इनकार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा क्योंकि ऐसा करने से समता के अधिकार और समान व्यवहार से इनकार किया जाना समझा जाएगा जो कायम नहीं हो सकता है। (पैरा 9)

संविधान में स्वयं यह मान्यता दी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को कतिपय प्रोत्साहन, अधिमान और प्रसुविधाएं दी जाएंगी जिससे उन्हें उन लोगों की बराबरी में लाया जा सके जिन्हें राज्य द्वारा विकास और उन्नति के लिए दी गई सुविधाओं का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ है जिसे कि पूर्वतर वर्ग के लोग भी समय के अनुक्रम में अवसरों से वंचित रहने के कारण उठाई गई क्षति को पूरा कर सकें। यह निर्वचन कि न्यायालयों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के सुसंगत उपबंधों में निहित समता के उद्देश्य को प्राप्त करने पर ध्यान दें जो संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों के लिए संकल्प के रूप में दिया गया है। इस के साथ ही साथ यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 दोनों के खण्ड (1) की भाषा बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति जातियों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन जाति या जनजाति विनिर्दिष्ट करने से पूर्व राज्य के मामले में राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वह राज्य के राज्यपाल से परामर्श करे। यह सच है कि कोई व्यक्ति मात्र प्रवास करने के कारण अपनी जाति/जनजाति से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि बेहतर जीवन के लिए और सामाजिक रूप से अधिक स्वतंत्र और मुक्त परिवेश में रहने के लिए प्रयास करने के कारण अपनी जाति/जनजाति से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि बेहतर जीवन के लिए और सामाजिक रूप से अधिक स्वतंत्र और मुक्त परिवेश में रहने के लिए प्रवास करने से यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त समय तक सामाजिक रूप से विकसित क्षेत्र में रहता है तो उसके द्वारा समुदाय के असुविधाग्रस्त वर्ग से संबंधित होने के नाते उठाई गई क्षति और उससे जनित कमियां दब जाती हैं और उसके विकास में अड़चनें डालती हैं और किसी व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा पूरी तरह विकसित होने और पनपने के लिए पूरा अवसर प्राप्त करती है। यह महसूस करते हुए कि यह समस्याएं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। यह अवलोकन किया गया है कि उनका संतुलन देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी वर्ग या समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या दूसरे समुदाय को तकलीफ न हो। इसलिए सांविधानिक न्यायपीठ ने यह कहा कि देश के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को तब तक संरक्षण मिलना चाहिए

और उस सीमा तक मिलना चाहिए जिस सीमा तक वे अन्य वर्गों के समान होने के लिए हकदार हैं किन्तु वे लोग जो अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उस समुदाय के एक भाग के लिए असुविधाजनक और अवरोधपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों की सूची में जिस राज्य में किसी विशेष जाति या जनजाति या वर्ग को शामिल करने के लिए विचार करते समय जिन बातों को ध्यान में रखा जाएगा वे उस जाति/जनजाति या वर्ग को उस राज्य में जिस राज्य में पूरी तरह से अधिमान हो जहां प्रवास करके वह व्यक्ति पहुंचता है उस राज्य में उसके द्वारा महसूस की गई असुविधाओं और सामाजिक कठिनाइयों की प्रकृति और उसकी सीमा क्या है। संयोगवश ऐसा हो सकता है कि कोई जाति या जनजाति जिसका दोनों राज्यों में एक ही नाम हो किन्तु जिन धारणाओं के आधार पर उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है वे भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न तत्वों की असुविधाओं का अनुपात भी एक आधार है जिसके कारण कुल हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पूर्ण रूप से भिन्न हो सकती है। इसलिए मात्र इसलिए कि कोई व्यक्ति "क" राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है यह आवश्यक नहीं है कि उसी नाम की कोई और जाति किसी अन्य राज्य में भी हो और उसके संबंधित पूर्वतर राज्य का व्यक्ति भी पश्चात्वर्ती राज्य में इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति के सदस्य को अनुज्ञेय, विशेषाधिकारों और लाभों को प्राप्त करने का हकदार हो। (पैरा 14)

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याची छात्र के भविष्य का प्रश्न अन्तर्वलित है, प्राधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे इस बात पर विचार करें कि याची "गौड़ा" है या नहीं और यदि है तो संस्था इस बात पर विचार कर सकती है कि उसे संस्था में अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति दी जाए तथापि इस संविधान के सुसंगत उपबंधों का निर्वचन करने पर इस न्यायालय ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया कि विधिक रूप से कहा जाए तो यह अनुसूचित जाति के कोटे से प्रवेश पाने का हकदार नहीं था। (पैरा 15)

अवलम्बित निर्णय

पैरा

[1992] ए० आई० आर० 1992 गुजरात 42:
गुजरात राज्य बनाम **आर० एल० पटेल;** 13

[1990] (1990) अनु०1 स्केल 7 = (1990) 3 एस०सी०सी० 130:
मारी चन्द्रशेखर राव बनाम **दीन सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज और अन्य;** 9

[1986] ए० आई० आर० 1986 गुजरात 175:
कुमारी मंजु सिंह बनाम **दी डीन, बी० जे० मेडिकल कालेज और अन्य;** 13

[1984] (1984) 3 एस० सी० सी० 654:
प्रदीप जैन बनाम **भारत संघ;** 14

[1981] 1981 एल० ए० बी० आई० सी० 1345:
पी० एम० मुनी बनाम **कर्नाटक लोक सेवा आयोग।** 13

निर्दिष्ट निर्णय

[1989] 1989 का रिट आवेदन सं० 2830 जिसका विनिश्चय 28.9.89 को किया गया:
के० डी० बोरिसा और अन्य बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य;** 8

[1989] ए० आई० आर० 1989 बाम्बे 138:
एम० एस० मलाथी बनाम **आयुक्त, नागपुर मंडल;** 15

[1987] 1987 का रिट आवेदन सं० 4018 जिसका विनिश्चय 19.9.1984 को किया गया:
राजेश अर्जुन भाई पटेल बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य;** 8

[1983] 1983 का रिट आवेदन सं० 2499 जिसका विनिश्चय 19.9.84 को किया गया:
राजेश कुशाल भाई पटेल बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य;** 8

[1980] 1980 का रिट आवेदन सं० 1572 जिसका विनिश्चय 3.2.82 को किया गया:
भीवा जी एकनाथ कावले बनाम **महाराष्ट्र राज्य;** 8

[1976] 1976 (आई० एल० आर०) 1 पंजाब:
वी० बी० सिंह बनाम **पंजाब राज्य;** 15

[1969] ए० आई० आर० 1969 उड़ीसा 220:
के० अप्पा राव बनाम **निदेशक, डाक-तार उड़ीसा।** 15

आरम्भिक (सिविल) रिट अधिकारिता: **1990 की सिविल रिट संख्या 898.**

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन की गई रिट याचिका।

याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से	सर्वश्री राजू रामचन्द्रन और जोसेफ पोकट्टा
विशेष आवेदन में याची की ओर से और रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से	सर्वश्री जी० बी० साठे और ए० एस०भाम्भे
भारत संघ की ओर से	श्री के० लाहिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती अनिल कटियार और सुश्री बीनू टामटा
विशेष इजाजत आवेदन के प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से	मैसर्स जे० बी० डी० कम्पनी के श्री डी० एन० मिश्रा
विशेष इजाजत आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से	श्री एस० सी० बिरला
विशेष इजाजत आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से	श्री एस० वी० देशपांडे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी ने दिया।

न्या० अहमदी—संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन श्री देवीदास कुबेरदास कंथारिया द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में तथा याची संख्या 1 समिति के अध्यक्ष की हैसियत से लाई गई याचिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि जहां "क" राज्य का कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी जाति या जनजाति से संबंध है, जो संविधान के प्रयोजन के लिए राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट है किसी "ख" राज्य में प्रवास कर जाता है जहां उसी नाम की जाति या जनजाति संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में "ख" राज्य के लिए विनिर्दिष्ट है तो वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए "ख" राज्य में संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध प्रसुविधाओं और लाभों का हकदार होगा या नहीं? इस

1994(7) eILR(PAT) SC 1

याचिका में जिस शिकायत को उठाने का प्रयास किया गया है और जो प्रतिनिधायी हैसियत में तथा लोक हित के मुकदमे के रूप में लाई गई है यह है कि "ख" राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से संबंधित ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रसुविधाओं और लाभों को देने से इनकार करता है जो "क" राज्य या किसी अन्य राज्य से प्रवासित होकर आए हैं। इससे पहले कि हम रखी गई शिकायत की विनिर्दिष्ट प्रकृति का विवरण दें हमारे लिए संविधान के उन उपबंधों के प्रति निर्देश करना सुविधाजनक होगा जिनका मुद्दागत प्रश्न से संबंध है।

2. संविधान के भाग XVI में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित करते हुए कतिपय श्रेणियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 335 में कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की बाबत सभी मामलों में अन्वेषण करने के लिए और उन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की बाबत राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद, अनुच्छेद 341 और 342 आते हैं जिन्हें इस प्रक्रम पर उद्धृत किया जा सकता है:—

> "341. अनुसूचित जातियां—(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।
>
> 342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।"

अनुच्छेद 341 का खण्ड (2) संसद को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विधि द्वारा खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति, मूलवंश या जनजाति या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार के समान उपबंध अनुच्छेद 342 के खण्ड (2) में दिए गए हैं जो किसी जनजाति या जनजातियों आदि के बारे में हैं। इन दोनों उपबंधों में आगे यह कहा गया है कि पूर्वोक्त के सिवाए संबंधित अनुच्छेदों के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना के जरिए फेर बदल नहीं किया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह प्रकट होता है कि राष्ट्रपति की शक्ति अनुसूचित जातियों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने तक सीमित हैं जो संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की बाबत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समझे जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खण्ड (1) के अधीन एक बार अधिसूचना जारी कर दिए जाने पर संसद विधि द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है किसी जाति या जनजाति को जोड़ सकती है या अपवर्जित कर सकती है किन्तु उस सीमित प्रयोजन के सिवाए खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना के जरिए फेर-बदल नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि जातियों और जनजातियों को किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई जाति या जनजाति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसके लिए वह विनिर्दिष्ट है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो सकती है। यही वे सुसंगत उपबंध हैं जिसका संबंध इस याचिका में की गई शिकायत का निपटान करने के लिए है।

4. इस मामले के याचीगण को इसलिए शिकायत हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस राज्य में मिलने वाले उन लाभों और विशेषाधिकारों को देने से इनकार कर दिया है जो उस राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो दूसरे राज्यों से संबंधित हैं और जो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में विस्थापित हैं के लिए विनिर्दिष्ट है। यह फायदे और विशेषाधिकार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कतिपय परिपत्रों और पत्रों के आधार पर देने से इनकार किए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जिनमें यह उपदर्शित किया गया है कि किसी अन्य राज्य की बाबत विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य महाराष्ट्र राज्य में दिए जा रहे फायदों और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं होंगे जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति के बारे में यह दर्शित नहीं किया जाता कि अनुसूचित जातियों के मामले में वह तारीख 10 अगस्त, 1950 को महाराष्ट्र का निवासी था और अनुसूचित जनजातियों के मामले में तारीख 6 सितम्बर, 1950 को महाराष्ट्र राज्य का निवासी था। ये वे तिथियां हैं जिनको राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को प्रथम बार प्राख्यापित किया गया था। इसलिए याचियों ने यह दलील दी है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिए जा रहे फायदों और विशेषाधिकारों से इनकार किया जाना नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 16 और 19 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है और इसके साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की भाषा और भावना के विपरीत है। याचियों ने यह दलील दी है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित है के परिशीलन से यह दर्शित होगा कि वही जातियां और जनजातियां एक से अधिक राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट की गई है। जो

लोग भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं चाहे वे कहीं भी बसे हों आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस के साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार से असम्मानजनक और पीड़ाजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है और प्रायः उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में आजीविका की खोज में या दमनकारियों की यातना से बचने के लिए भी प्रवास करना पड़ता है। इससे पूर्व उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए महाराष्ट्र राज्य में जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई तथापि यह स्थिति उस समय अचानक बदल गई जब भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए तारीख 22 मार्च, 1977 वाली संसूचना जारी की।

5. इससे पहले कि हम तारीख 22 मार्च, 1977 की संसूचना की अन्तर्वस्तुओं के प्रति निर्देश करें हमारे लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करना लाभप्रद होगा जो क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। आदेश में प्रथम उल्लिखित खंड (2) में निम्नलिखित उपबंध किया गया है:—

> "2. इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस आदेश की अनुसूची के भाग XXII में विनिर्दिष्ट जातियों के भागों या उनके यूथों को उन राज्यों के संबंध में जिनसे क्रमशः वे भाग सम्बद्ध हैं जहां तक उनके उन सदस्यों का संबंध है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन भागों के क्षेत्रों के निवासी हैं अनुसूची जाति समझा जाएगा।"

द्वितीय आदेश का खंड (2) निम्नलिखित रूप में है:—

> "इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से XIX में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों अथवा जनजातियों के समुदायों के भागों या उन में के यूथों को उन राज्यों की बाबत जिनसे क्रमशः वे भाग संबंधित हैं अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा जहां तक उन के सदस्यों को उस अनुसूची के उन भागों के क्षेत्रों का निवासी समझा जाएगा।"

6. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस बात का पता लगाया कि किसी विशिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र ऐसे प्रमाण-पत्रों के जारी करने के बारे में निर्मित सिद्धांतों के कठोर अनुपालन में जारी नहीं किए गए थे। इसका कारण यह था कि सम्बद्ध प्राधिकारी "आयात" शब्द की धारणा के संबंध में विधिक स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समझ पाए थे। विधि की स्थिति को स्पष्ट करने के विचार से तारीख 22 मार्च, 1977 वाली संसूचना जारी की गई थी। उस संसूचना का सुसंगत भाग यहां संदर्भ के लिए उद्धरित किया जा सकता है:—

> "संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन यथास्थिति अपेक्षित रीति में राष्ट्रपति महोदय ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के मामले में सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् विभिन्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए समय-समय पर अधिसूचित करते हुए आदेश जारी किया। अन्तर्राज्यीय क्षेत्र संबंधी निर्बन्धन जानबूझकर अधिरोपित किए गए जिससे कि किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों को जो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रह रहे थे जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने के लिए अर्हता प्राप्त निर्धारित किए गए थे, ही उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का फायदा प्राप्त हो सके। चूंकि उसी जाति से संबंधित किन्तु भिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले लोग दोनों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति नहीं समझा जाना था इसीलिए ऐसा किया गया था। इसलिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का विशिष्ट क्षेत्र में निवास विशेष महत्वपूर्ण बन गया। इस निवास शब्द को बहुत उदारता या सामान्य आशय से नहीं समझा जा सकता है। दूसरी ओर इससे यह अभिप्राय निकलता है कि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति वाली अधिसूचना की तारीख को कहां निवास था जिसके जरिए उस क्षेत्र की बाबत जाति या जनजाति को अनुसूचित किया गया था। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो अपने स्थायी स्थान या निवास से राष्ट्रपति के आदेश के अधिसूचित किए जाने के समय बाहर था उदाहरण के लिए मान लें कि वह आजीविका अर्जित करने या शिक्षा ग्रहण करने आदि के संबंध में बाहर था तो उसे भी यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जा सकता है यदि उसकी जाति/जनजाति उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई है किन्तु उसके अस्थायी निवास से इस संबंध में उससे जोड़ा नहीं जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद भी कि उसकी जाति/जनजाति का नाम राष्ट्रपति के आदेश में उस क्षेत्र की बाबत अनुसूचित किया जा चुका है।"

संसूचना में आगे यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति के स्थायी आवास की महत्ता को और वह जिस जाति/जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है उसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विहित प्रारूप में विशेष उपबंध किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को ही ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने चाहिएं जो भारत सरकार (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के तारीख 6 अगस्त, 1975 वाले पत्र के जरिए क्षेत्रानुक्रम में उन प्राधिकारियों को उपदर्शित किया जो प्रमाण-पत्र जारी कर सकते थे। संसूचना में आगे निम्नलिखित कहा गया है:—

> "इस प्रकार जिले के राजस्व प्राधिकारी किसी अन्य जिले से संबंधित व्यक्तियों की बाबत ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की बाबत जिनके निवास का स्थायी स्थान राष्ट्रपति के आदेश वाली विशिष्ट अधिसूचना के समय भिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित था ऐसा प्रमाण-पत्र नहीं जारी कर सकता।"

इस बात पर मात्र इसलिए जोर दिया गया क्योंकि ऐसे क्षेत्र के राजस्व प्राधिकारी की जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास कर रहा था, राजस्व अभिलेखों को देखने तक पहुंच थी और वही प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले विश्वसनीय रूप से जांच-पड़ताल कर सकता था। सुसंगत राष्ट्रपतीय

आदेश वाली अधिसूचना की तारीख के पश्चात् जन्म लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में संसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र अर्जित करने के प्रयोजन के लिए निवास का अभिप्राय है राष्ट्रपति के आदेश वाली अधिसूचना के समय उनके माता-पिता के निवास का स्थायी स्थान कहां था जिसके अधीन वे ऐसे जाति/जनजाति का संबंधित होने का दावा करते हैं।

7. भारत सरकार द्वारा उक्त संसूचना जारी किए जाने के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपनी 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि उनकी जानकारी में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने सरकारी सेवा प्राप्त करने या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे थे जब कि जारी करने वाले प्राधिकारी को इस बात का भी पता नहीं है कि ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आधार भूत अपेक्षाएं क्या हैं। आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जिसे अपनाने के लिए आयुक्त ने सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र सरकार ने विद्यमान आदेशों को उपांतरित करते हुए यह निदेश दिया कि विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र को "आरंभिक प्रमाणपत्र" समझा जाना चाहिए और अन्तिम प्रमाण-पत्र केवल इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। यह निदेश भी दिया गया कि विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को केवल उन्हीं जातियों को प्रमाणित करना चाहिए जिनसे वे स्वयं संबंधित हैं। सरकार का यह कहना है कि यदि इन अनुदेशों के बावजूद गलत जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं तो गंभीर रूख अपनाना पड़ेगा। उक्त सरकारी आदेश से उपाबद्ध अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 13 और 19 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:—

> "13. जाति प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं लोगों के लिए जारी किया जाना चाहिए जिनका सामान्य निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर आता है। सामान्य निवास से अभिप्रेत है वह निवास जो सेवा, नियोजन शिक्षा या कारागार में निरुद्ध किए जाने आदि से संबंधित न हो। संक्षेप में इससे अभिप्रेत है स्थायी निवास और न कि अस्थायी निवास।
>
> 19. जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है वहां वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है जिस राज्य से वह प्रवास करता है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी को दूसरे राज्य से आए व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जारी नहीं करना चाहिए चाहे वह सामान्य तौर पर वहां निवास कर रहा है या नहीं।"

तारीख 12 फरवरी, 1981 वाले पश्चात्वर्ती पत्र के जरिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य समझे जाने के लिए किसी व्यक्ति को क्रमशः तारीख 10 अगस्त, 1950 और तारीख 6 सितम्बर, 1950 से पूर्व महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जो कि महाराष्ट्र राज्य की बाबत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति वाले 1950 के आदेशों की अधिसूचना की तारीखें हैं। चूंकि वर्ष 1950 में महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं था इसलिए यह समझना युक्तियुक्त होगा कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के भीतर आने वाला भौगोलिक क्षेत्र उससे संबंधित है। प्रमाण-पत्र के प्रारूप के नीचे निम्नलिखित टिप्पण उपाबद्ध किया गया था:—

> टिप्पण:— "यहां प्रयुक्त 'सामान्य तौर पर निवास करता है' शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।'

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 निम्नलिखित रूप में हैं:—

> "20. 'मामूली तौर से निवासी' का अर्थ—
>
> (1) किसी व्यक्ति की बाबत इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।
>
> (1क) अपने मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थाई रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।
>
> (1ख) संसद का या किसी राज्य के विधानमंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।
>
> (2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या तो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।
>
> (3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।
>
> (4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबंध लागू हैं उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत की यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में 'सेवा अर्हता' से—

"(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।"

समय के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उन लोगों को जिन्होंने नियोजन की खोज में या शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन या समान प्रयोजनों से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास कर गए हैं जिन्होंने उस राज्य से जहां से उन्होंने प्रवास किया था जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुई कठिनाई को दूर करने के लिए तारीख 22 मार्च, 1977 वाले पूर्वतर पत्र में और तारीख 29 मार्च, 1982 वाले पश्चात्वर्ती पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों को इस प्रकार संशोधित किया गया कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विहित प्राधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र देने के लिए अनुमति दी गई जो अन्य राज्य से प्रवास करके आए थे। इसके लिए यह शर्त रखी गई कि वे पिता के मूल राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा अपने पिता के पक्ष में जारी किए गए उचित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करेंगे सिवाय उस दशा के जहां विहित प्राधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व पिता के जन्म वाले राज्य के माध्यम से विस्तृत जानकारी करना चाहता है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि प्रमाण-पत्र इस बात पर ध्यान दिए बिना जारी किया जाएगा कि प्रश्नगत जाति/जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की बाबत जहां व्यक्ति प्रवास में गया है अनुसूचित है या नहीं। निश्चय ही इस सुविधा से उस व्यक्ति की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी हैसियत में एक राज्य या दूसरे राज्य की बाबत कोई परिवर्तन नहीं होता प्रमाण-पत्र का पुनरीक्षित प्रारूप परिचालित किया गया था। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के राज्य से किसी राज्य में शिक्षा, नियोजन आदि के लिए प्रवास किया है उसे केवल अपने मूल-राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समझा जाएगा और वह उसी राज्य से फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा और उस राज्य से नहीं जिस राज्य से उसने प्रवास किया है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को अग्रेपित स्पष्टकारी आदेश के जरिए मात्र यही सुविधा दी गई है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के विहित प्राधिकारी जहां कोई व्यक्ति प्रवास करके गया है। प्रवास करने वाले व्यक्ति के लिए पिता के जन्म वाले राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समुचित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर प्रवास करने वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। परन्तु विहित प्राधिकारी इस मामले में जन्म वाले राज्य के जरिए जांच कर सकता है यदि उसके मन में इस बारे में कोई सन्देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत होगा जहां से सम्बद्ध व्यक्ति प्रवास करके गया है और उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की बाबत नहीं होगा जहां वह प्रवास करके गया है। इसलिए प्रवासी व्यक्ति ऐसे प्रमाण-पत्र के बल पर उस राज्य में लाभ पाने का हकदार नहीं होगा जहां वह प्रवास करके गया है। पश्चात्वर्ती पत्र अर्थात् तारीख 15 अक्तूबर, 1987 वाले पत्र के जरिए जो श्रीमती शशी मिश्रा, सचिव समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य को संबोधित किया गया था, में इस बात को दोहराया गया है। पत्र के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:—

"इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जो अपने मूल जन्म वाले राज्य से जिसे राष्ट्रपतीय प्रथम आदेश, 1950 के जारी किए जाने के पश्चात् सामान्य रूप से उसका निवास स्थान समझा जाता है प्रवास कर गया है अपने मूल राज्य से लाभ प्राप्त कर सकता है और इस राज्य से नहीं जहां वह प्रवास करके गया है।"

इस प्रकार प्रवास की बाबत 1950 वाले आदेश के जरिए कम की गई अवधि के बारे में रखे गए प्रस्ताव की अवहेलना कर दी गई है। यह उल्लेख किया गया कि इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची अखिल भारतीय आधार पर बनाई गई होती जिसके बारे में यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं था। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है, चूंकि तारीख 22 मार्च, 1977 वाली संसूचना जारी किए जाने की तारीख से उसका यह निश्चित दृष्टिकोण रहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में नियोजन या शैक्षणिक प्रयोजनों या समान कारणों के लिए प्रवास किया है उन्हें उस राज्य की बाबत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा जहां वह प्रवास करके गया है और इसलिए वह पश्चात्वर्ती राज्य से ऐसे फायदों का दावा नहीं कर सकता है।

8. याचियों ने यह दलील दी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मूल राज्य और राज्य में जहां प्रवास करके कोई व्यक्ति गया है उन्हें समुचित रिट या निदेश पाने के लिए इस अभिवाक् पर उच्च न्यायालय में समावेदन करना पड़ा कि कट-आफ की तिथि मनमाने ढंग से नियत की गई थी और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 तथा अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन करती है। याचियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा (i) 1980 के रिट आवेदन संख्या 1572 **भीवा जी एकनाथ कावले** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] जिसका विनिश्चय मुम्बई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद की न्यायपीठ के न्यायमूर्ति कांणे और देशपांडे द्वारा तारीख 3 फरवरी, 1982 को किया गया; (ii) **राजेश कुशाल भाई पटेल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] जिसका विनिश्चय तारीख 19 सितम्बर, 1984 को मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देशपांडे द्वारा किया गया; (iii) **राजेश अर्जुन भाई पटेल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[3] जिसका विनिश्चय तारीख 31 जुलाई, 1989 को मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दाउद द्वारा किया गया, और (iv) **के॰ डी॰ बोरिसा और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[4] जिसका विनिश्चय तारीख 28 सितम्बर, 1989 को मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के मुख्य न्यायमूर्ति मुखर्जी और न्यायमूर्ति शरद मनोहर द्वारा किया गया, चार निर्णयों का हवाला दिया जिनमें याचियों को अनुतोष प्रदान किया गया था। याचियों ने यह दलील दी कि मुम्बई उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त रिट आवेदनों में उद्घोषित निर्णयों में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को अपने मूल राज्य यदि उस राज्य से जहां वे प्रवास के जरिए पहुंचे हैं प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव होता रहा जो भारत सरकार द्वारा तारीख 22 मार्च, 1977 और पश्चात्वर्ती संसूचना जिसे पहले निर्दिष्ट किया गया था में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के कारण अनुभव हुआ। इसीलिए, याचियों ने इस न्यायालय में समावेदन किया जिससे कि इस न्यायालय द्वारा कोई प्राधिकारपूर्ण निर्णय दिया जा सके जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में एक पद्धति बनाई जा सके और उन्हें विभिन्न उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य न होना पड़े।

9. महाराष्ट्र राज्य की ओर से फाइल किए गए प्रत्युत्तर में यह दलील दी गई है कि इस याचिका में उठाए गए प्रश्न का इस न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा **मारी चन्द्र शेखर राव** बनाम **दीन सेठ जी॰ एस॰ मेडिकल कालेज और अन्य**[5] वाले मामले में निर्णायक रूप से उत्तर दिया गया है और इसलिए याचिका खारिज किए जाने की दायी है। इस आरंभिक दलील पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद 341 और 342 में "इस संविधान के प्रयोजन के लिए" शब्दों के साथ पठित "उस राज्य के संबंध में" पद से इस संबंध में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि "उस राज्य के संबंध में" जिसके लिए यह कहा गया है, अर्थात् मूल राज्य और न कि वह राज्य जहां प्रवास किया गया है के लिये विनिर्दिष्ट की गई है। यह इस कारण से है अनुच्छेद 15 और 16 में पिछड़ेपन की जो धारणा है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है और इसलिये किसी जाति या किसी जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में पूरे देश के लिए सामान्यीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिये एक राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के लिये उस राज्य में आवश्यक प्रतिरक्षा और प्रसुविधा प्राप्त होनी चाहिये जिससे कि समानता लाई जा सके किन्तु हो सकता है कि जिस राज्य से उसने प्रवास किया है वहां का सामाजिक वातावरण उसके मूल राज्य के वातावरण के समान न हो और इसलिये वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये उस राज्य में जहां उसने प्रवास किया है उपलब्ध लाभों और प्रसुविधाओं का दावा नहीं कर सकता है। इसलिये याचियों की यह दलील कि प्रवास करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति की जाति या जनजाति परिवर्तित नहीं हो जाती और यदि ऐसे व्यक्ति रियायत, सुविधा और विशेषाधिकार जो, उस राज्य के लिये जहां से उसने प्रवास किया है में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध हैं देने से इनकार किया जाता है तो ऐसा इनकार किया जाना सुविधा के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा क्योंकि ऐसा करने से समता के अधिकार और समान व्यवहार से इनकार किया जाना समझा जाएगा जो कायम नहीं हो सकता है। इसी कारण से भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई संसूचनाओं और परिपत्रों को जो चुनौती दी गई है उस में कोई गुणवत्ता नहीं है। इसलिये शपथगृहीता द्वारा यह दलील दी गई है कि इस याचिका में कोई गुणवत्ता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिये।

10. दुर्भाग्यवश यद्यपि मुख्य चुनौती भारत सरकार द्वारा जारी की गई संसूचनाओं/परिपत्रों को दी गई है किन्तु भारत संघ की ओर से कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया गया है यद्यपि सूचना जारी करने की तारीख अर्थात् 17 अगस्त, 1990 के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है। यद्यपि तारीख 12 फरवरी, 1991 को भारत संघ के विद्वान काउंसेल ने यह रिपोर्ट दी है कि उन्हें इस रुख के बारे में संबंधित मंत्रालय से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए कि भारत संघ इस याचिका में उठाए गये प्रश्न पर विचार कर सकती है। उस अवसर पर हमने यह उल्लेख किया था कि हम ऐसा करना आवश्यक समझते हैं कि भारत संघ को चाहिये कि वह अपना पक्ष स्पष्ट करे जिससे कि न्यायालय को भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान काउंसेल से सहयोग प्राप्त हो सके जिससे वह इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके। इस न्यायालय ने अनिच्छापूर्वक अगले दो सप्ताह का समय बढ़ा दिया जिससे कि वह ऐसा कर सके। समाज

---

[1] 1980 का रिट आवेदन सं॰ 1572 निर्णय की तारीख 3-2-82.

[2] 1983 का रिट आवेदन सं॰ 2499 निर्णय की तारीख 19-9-84.

[3] 1987 का रिट आवेदन सं॰ 4018 निर्णय की तारीख 31-7-89.

[4] 1989 का रिट आवेदन सं॰ 2830 निर्णय की तारीख 28-9-89.

[5] (1990) अनु॰ 1 स्केल 7 = (1990) 3 एस॰सी॰सी॰ 130.

कल्याण मंत्रालय के सचिव को भी यह निदेश दिया गया कि जांच करने के लिये भारत संघ का पक्ष स्पष्ट करते हुए अगली सुनवाई की तारीख अर्थात् 5 मार्च, 1991 से पूर्व प्रत्युत्तर का फाइल किया जाना सुनिश्चित करे। सचिव को आदेश की एक प्रति जिससे वह मामले को आगे बढ़ा सके और यह सुनिश्चित कर सके कि अगली तारीख से पूर्व प्रति-शपथपत्र फाइल कर दिया जाए। दुर्भाग्यवश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद भारत संघ की ओर से कोई प्रति-शपथपत्र फाइल नहीं किया गया कितने दुर्भाग्य की बात है कि मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी को सावधान करने के बाद भी लापरवाही जारी रही। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्युत्तर फाइल किये बिना हमें इस मुद्दे का विनिश्चय करना है।

11. याचिका अंतिम निपटान के लिये तारीख 12 मार्च, 1991 को इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायमूर्तियों द्वारा गठित न्यायपीठ के समक्ष रखी गई। तीन दिनों तक बहस सुनने के पश्चात् विद्वान न्यायाधीशों ने तारीख 15 मार्च, 1991 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

> "हमने इन मामलों की सुनवाई कुछ विस्तार से की किन्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन याचिकाओं में उठाई गई समस्या से विभिन्न आधारभूत मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं जो इस संदर्भ में राष्ट्रपतीय आदेश के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के बारे में हैं। हमारी राय में ये ऐसे समुचित मामले हैं जिन्हें इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिये। इस निमित्त आवश्यक निदेश के लिये पत्रावली मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखी जा सकती है।"

इस प्रकार मामला हमारे समक्ष अंतिम निपटान के लिये लाया गया है।

12. हम संयोगवश यहां यह उल्लेख कर सकते हैं कि 1990 का अंतरिम आवेदन संख्या 1 इस उद्देश्य से दिया गया कि प्रतिनिधायी हैसियत से कार्यवाही करने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर तारीख 17 अगस्त, 1990 को आदेश पारित किया गया जिसके जरिये सूचना ज़ारी करने का निदेश दिया गया जिसका उत्तर तारीख 3 अक्तूबर, 1990 को मिलना था।

13. यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व और उसके दौरान भी भारत में सामाजिक व्यवस्था असमानता के आधार पर थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नेताओं ने सामाजिक एकता लाने के लिये संघर्ष किया जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिले। समानता लाने की आवश्यकता को गहराई से अनुभव किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् जिस समय भारत के संविधान की रचना की जा रही थी उस समय समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर पर्याप्त जोर दिया गया है। संविधान सभा में हुई बहस में समझी गई इस आवश्यकता का परिसाक्ष्य मौजूद है। हमारे संविधान की उद्देशिका, जो संविधान की आत्मा के रूप में है उस में समस्त नागरिकों के लिये हैसियत और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का संकल्प' है। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किन्तु उस समय संविधान के निर्माता इस बात से भली-भांति अवगत थे कि देश के सामाजिक ढांचे में असमानता विद्यमान है और इसलिये उन्होंने समुचित उपबंधों के माध्यम से असमानता को सुधारने की आवश्यकता को महसूस किया जहां अनुच्छेद 15(1) में सटीक शब्दों में यह उपबंध किया गया है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या उन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा वहीं अनुच्छेद 15(4) में यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद में की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(1) में यह अंतर्निहित है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगा और अनुच्छेद के खंड (2) में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या उन में से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। किन्तु इसके बाद अनुच्छेद 16 के खंड (4) में यह उपबंध किया गया है कि इसी अनुच्छेद के पूर्वगामी भाग में कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस याचिका के प्रयोजन के लिये अनुच्छेद 19 जहां तक वह सुसंगत है में यह उल्लेख किया गया है कि सभी नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण और भारत के किसी राज्यक्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा। याची के विद्वान काउंसेल का निवेदन यह था कि चूंकि अनुच्छेद 19 भारत के किसी राज्यक्षेत्र के भीतर अबाध संचरण है और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी बाधा के संरचरण करने, निवास करने और बस जाने का अधिकार है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि यह मूल अधिकार है और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति जिन्हें एक राज्य में विनिर्दिष्ट किया गया है उन्हें दूसरे राज्य में अबाध संचरण का अधिकार प्राप्त है और वे ऐसे दूसरे राज्य में यदि उनकी इच्छा है तो निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को, जिनके बारे में संविधा के भाग xvi अर्थात् अनुच्छेद 330, 332, 335 और 336 में उपबंध किया गया है जिसके बारे में हम ने ऊपर उल्लेख किया है। उन्हें ही कतिपय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। किन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 341 और 342 के खंड (1) को स्पष्ट तौर पर बढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जातियों / जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने की राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है जो "संविधान के प्रयोजनों के लिए", यथास्थिति "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में" अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। याचियों के विद्वान काउन्सेल की दलील यह थी कि तारीख 22 मार्च,

1977 वाली संसूचना में जिस विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जारी की गई पश्चात्वर्ती संसूचना द्वारा जिसे स्पष्ट किया गया और जिन्हें ऊपरनिर्दिष्ट किया गया है वे संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(2) की भाषा से सुसंगत नहीं है और अन्यथा भी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 में उल्लिखित समता की धारणा का उल्लंघन करने वाले हैं। विद्वान काउन्सेल ने आगे यह उल्लेख किया कि इस निर्णय के पूर्वतर भाग में निर्दिष्ट मुम्बई उच्च न्यायालय वाला विनिश्चय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **कुमारी मंजु सिंह** बनाम **दी डीन, बी॰ जे॰ मेडिकल कालेज और अन्य**[1] तथा **गुजरात राज्य** बनाम **आर॰ एल॰ पटेल**[2] तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **पी॰ एम॰ मुनी** बनाम **कर्नाटक लोक सेवा आयोग**[3] वाले विनिश्चयों को अनुमोदित किया जाना चाहिए क्योंकि इन में यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है कि "संविधान के प्रयोजनों के लिए" शब्दों को "उस राज्य के संबंध में" शब्दों का अनुगामी मान कर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यदि इस प्रकार निर्वचन किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा जारी की गई तारीख 22 मार्च, 1977 वाली संसूचना में व्यक्त किया गया मत पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और पूर्वनिर्दिष्ट मूल अधिकारों का उल्लंघनकारी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने यह दलील दी है कि चूंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए तारीख 21 मार्च, 1979 वाले आदेश में भारत सरकार की तारीख 22 मार्च, 1977 वाली संसूचना के निर्वचन का अनुसरण किया गया था इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि पूर्वतर आदेश में भी सांविधानिक अवैधता की कमी का दोष था और वह अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रयोजनों और भावनाओं के विरुद्ध था। दूसरी ओर भारत संघ के विद्वान काउन्सेल ने प्रत्युत्तर की कमी के बावजूद और महाराष्ट्र राज्य के विद्वान काउन्सेल ने **मैरी चन्द्रा**[4] वाले विनिश्चय में सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा किए गए निर्णय का मजबूती से आश्रय लिया और यह निवेदन किया कि यही बातें श्री राजू रामचन्द्रन द्वारा सांविधानिक न्यायपीठ के समक्ष रखी गई थीं और उनकी उपेक्षा कर दी गई थी। यदि हम प्रत्यर्थियों के विद्वान काउन्सेल के इस निवेदन से सहमत होते हैं कि वह याचिका में विवादग्रस्त मुद्दा पूर्वोक्त मामले में सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय में आ जाता है तो हमें विनिश्चय करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा इसलिए हमारे लिए यह लाभप्रद होगा कि **मैरी चन्द्रा**[4] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का सीधे हवाला दें।

14. **मैरी चन्द्रा**[4] का आन्ध्र प्रदेश राज्य के तैनाली नामक स्थान में जन्म हुआ था और वह "गौडा" समुदाय की थी जिसे आमतौर से "गौडी" नाम से जाना जाता था। इस समुदाय को यथा-संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था। उसके पिता को तहसीलदार ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किया था जिसके आधार पर उसे अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार के उपक्रम में आरक्षित कोटे से नियोजन प्राप्त हुआ था और उसे महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई में नियुक्त किया गया था। उस समय याची की आयु लगभग 9 वर्ष थी। उसने मुम्बई में रहकर अपना अध्ययन जारी रखा और महाराष्ट्र राज्य उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात् उसने प्रत्यर्थी महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के आधार पर आरक्षण के लाभ का दावा करते हुए प्रवेश मांगा। तथापि कोटे के आधार पर उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया यद्यपि अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थियों को उस कोटे में प्रवेश दिया गया जिन्होंने उस से कम अंक प्राप्त किए थे किन्तु जिनका मूल राज्य महाराष्ट्र था उन्हें प्रवेश दिया गया था। प्रवेश देने से की गई इनकारी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए तारीख 22 फरवरी, 1985 वाले परिपत्र के आधार पर थी जिसके प्रति निर्देश हमने पहले किया है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोटे में किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाने से विफल रहने पर उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया। मुख्य न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी, जिस पद पर वे उस समय थे, की अध्यक्षता में गठित सांविधानिक न्यायपीठ ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या ऐसे व्यक्ति को, जो अपने जन्म वाले राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है दूसरे राज्य में, जहां वह प्रवास कर जाता है, वही फायदे या विशेषाधिकार या अधिकार प्राप्त करना जारी रख सकता है या नहीं। निर्णय के पैरा 6 में इस संक्षिप्त प्रश्न का निम्नलिखित शब्दों में समाधान प्रस्तुत किया गया है:—

> "इसलिए जो प्रश्न उठाया गया है वह है कि क्या इस मामले में याची महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति का होने के नाते फायदों का दावा कर सकता है यद्यपि जैसा कि उसने कहा है, उसके पास आन्ध्र प्रदेश राज्य का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र है।"

इस प्रश्न का उत्तर देते समय सांविधानिक न्यायपीठ से संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के निर्वचन की अपेक्षा की गई है और यह अवधारित करने की अपेक्षा की गई है कि "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" पद के साथ जोड़कर पढ़ते हुए "उस राज्य के संबंध में" पद के जरिए क्या संप्रेषित करने का अभिप्राय है इसे अवधारित करें। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के उपबंधों के प्रतिनिर्देश करने के पश्चात् और इस न्यायालय द्वारा **प्रदीप जैन** बनाम **भारत संघ**[1] वाले विनिश्चय के प्रति-निर्देश करने के पश्चात् सांविधानिक न्यायपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक असुविधाओं को भुगतना पड़ा है और कतिपय राज्यों में विकास और उन्नति की सुविधाओं से इनकार किया गया है। उन राज्यों में जहां उन्हें कष्ट उठाना पड़ा और विकास तथा उन्नति संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा वहां उन्हें आरक्षण आदि के रूप में कतिपय प्रतिरक्षा प्रसुविधाओं और लाभ देने का उपबंध किया गया है जिससे कि वे समाज के अपेक्षाकृत सुविधा प्राप्त और विकसित समुदाय के लोगों की बराबरी में लाए जा

[1] ए॰ आई॰ आर॰ 1986 गुजरात 175.
[2] ए॰ आई॰आर॰ 1992 गुजरात 42.
[3] 1981 एल॰एन्॰आई॰सी॰ 1345.
[4] 1990 अनु॰ (1) स्केल 7=(1990) 3 एस॰ सी॰ सी॰ 130.

[1] (1984) 3 एस॰ सी॰ सी॰ 654.

1994(7) eILR(PAT) SC

सके। इस मुद्दे पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान में स्वयं यह मान्यता दी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को कतिपय प्रोत्साहन, अधिमान और प्रसुविधाएं दी जाएंगी जिससे उन्हें उन लोगों की बराबरी में लाया जा सके जिन्हें राज्य द्वारा विकास और उन्नति के लिए दी गई सुविधाओं का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ है जिसे कि पूर्वतर वर्ग के लोग भी समय के अनुक्रम में अवसरों से वंचित रहने के कारण उठाई गई क्षति को पूरा कर सकें। यह निर्वचन कि न्यायालयों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के सुसंगत उपबंधों में निहित समता के उद्देश्य को प्राप्त करने पर ध्यान दें जो संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों के लिए संकल्प के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही साथ यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 दोनों के खण्ड (1) की भाषा बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए यथा-स्थिति जातियों या जन-जातियों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन जाति या जन-जाति विनिर्दिष्ट करने से पूर्व राज्य के मामले में राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वह राज्य के राज्यपाल से परामर्श करे। इसलिए जब किसी वर्ग को राष्ट्रपति द्वारा "क" राज्य के राज्यपाल के परामर्श से विनिर्दिष्ट किया गया है तब यह बात समझना कठिन है कि उस राज्य के संबंध में की गई वह विनिर्दिष्टि किस प्रकार किसी अन्य राज्य के बारे में की गई विनिर्दिष्टि समझी जा सकती है जिसके राज्यपाल से राष्ट्रपति ने परामर्श नहीं किया है। यह सच है कि यह विनिर्दिष्टि किसी ऐसे राज्य के बारे में नहीं है जिसके राज्यपाल से परामर्श किया गया है बल्कि "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" की गई है इसका तात्पर्य यह है कि यह संविधान के उन विभिन्न उपबंधों के बारे में की गई है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बारे में है। सांविधानिक न्यायपीठ ने इन अनुच्छेदों से संबंधित संविधान सभा में की गई बहस का हवाला देने के पश्चात् यह निष्कर्ष दिया है कि यह सच है कि कोई व्यक्ति मात्र प्रवास करने के कारण अपनी जाति/जन-जाति से संबंधित नहीं हो सकता क्योंकि बेहतर जीवन के लिए और सामाजिक रूप से अधिक स्वतन्त्र और मुक्त परिवेश में रहने के लिए प्रवास करने से यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त समय तक सामाजिक रूप से विकसित क्षेत्र में रहता है तो उसके द्वारा समुदाय के असुविधाग्रस्त वर्ग से संबंधित होने के नाते उठाई गई क्षति और उससे जनित कमियां दब जाती हैं और उसके विकास में अड़चनें डालती हैं और किसी व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा पूरी तरह विकसित होने और पनपने के लिए पूरा अवसर प्राप्त करती है। यह महसूस करते हुए कि यह समस्याएं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। यह अवलोकन किया गया है कि उनका संतुलन देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी वर्ग या समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या दूसरे समुदाय को तकलीफ न हो। इसलिए सांविधानिक न्यायपीठ ने यह कहा कि देश के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को तब तक संरक्षण मिलना चाहिए और उस सीमा तक मिलना चाहिए जिस सीमा तक वे अन्य वर्गों के समान होने के लिए हकदार हैं किन्तु वे लोग जो अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उस समुदाय के एक भाग के लिए असुविधाजनक और अवरोधपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। जिन्हें उस क्षेत्र में असुविधाएं प्राप्त हैं। सांविधानिक न्यायपीठ ने संक्षेप में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है:—

> "दूसरे शब्दों में, आन्ध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए जहां तक अन्य समुदायों के बीच संतुलन का प्रश्न है आवश्यक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है किन्तु वर्तमान मामले में समान रूप से महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य में संरक्षण की आवश्यकता है जो अन्य समुदायों के संतुलन में बनाए रखना होगा। समस्या के समाधान का यह आधारभूत दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए तो प्रस्तुत मामले में उत्पन्न संविवाद को हल करना कठिन नहीं होगा।"

हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्गों की सूची में जिस राज्य में किसी विशेष जाति या जन-जाति या वर्ग को शामिल करने के लिए विचार करते समय जिन बातों को ध्यान में रखा जाएगा वे उस जाति/जन-जाति या वर्ग को उस राज्य में जिस राज्य में पूरी तरह से अविद्यमान हो जहां प्रवास करके वह व्यक्ति पहुंचता है उस राज्य में उसके द्वारा महसूस की गई असुविधाएं और सामाजिक कठिनाइयों की प्रकृति और उसकी सीमा क्या है। संयोगवश ऐसा हो सकता है कि कोई जाति या जन-जाति जिसका दोनों राज्यों में एक ही नाम हो किन्तु जिन धारणाओं के आधार पर उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है वे भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न तत्वों की असुविधाओं का अनुपात भी एक आधार है जिसके कारण कुल हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पूर्ण रूप से भिन्न हो सकती है। इसलिए मात्र इसलिए कि कोई व्यक्ति "क" राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है यह आवश्यक नहीं है कि उसी नाम की कोई और जाति किसी अन्य राज्य में भी हो और उससे संबंधित पूर्वतर राज्य का व्यक्ति भी पश्चात्वर्ती राज्य में "इस संविधान के प्रयोजनों के लिए" अनुसूचित जाति के सदस्य को अनुज्ञेय, विशेषाधिकारों और लाभों को प्राप्त करने का हकदार हो।

यह ऐसा पहलू है जिसे ध्यान में रखना होगा और जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में विद्यमान था जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की भाषा से स्पष्ट है। इसलिए श्री जयपाल सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में डा० अम्बेडकर ने निम्नलिखित उत्तर दिया था:—

> "उन्होंने एक अन्य प्रश्न मुझसे पूछा और यह इस प्रकार था—मान लीजिए कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो किसी जन-जातीय क्षेत्र में जाता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी अन्य भाग में प्रवास कर जाता है जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से बाहर है। क्या वह स्थानीय सरकार से जिसकी अधिकारिता के भीतर वह निवास कर रहा हो उन्हीं विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का दावा कर सकता है जिसका वह उस समय हकदार होता यदि वह अनुसूचित क्षेत्र या जन-जातीय क्षेत्र के भीतर निवास करता होता? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। यदि इस प्रश्न को उन क्षेत्रों में उठाया जाता है जहां इस प्रकार के मामले के

विनिश्चय में उठाया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से हम ऐसे प्रश्न का उत्तर उस रूप में दे सकेंगे जो संविधान के किसी खण्ड के अनुरूप होगा। किन्तु जिस रूप में वर्तमान संविधान है अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो अनुसूचित क्षेत्र या जन-जातीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है निश्चित रूप से अपने साथ उन विशेषाधिकारों को नहीं ले जा सकता है जिनका वह उस समय हकदार होता जब वह अनुसूचित क्षेत्र या जन-जातीय क्षेत्र में निवास करता होता। जहां तक मैं समझता हूं कि उपबंधों को उन क्षेत्रों से भिन्न जो उनके भीतर आते हैं मैं प्रवृत्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा जो जन-जातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होते हैं...........।"

इस कथन का आश्रय लेते हुए सांविधानिक न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया है कि याची चिकित्सा महा-विद्यालय में इस आधार पर प्रवेश पाने का हकदार नहीं कि वह अपने मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति का सदस्य था।

15. अन्ततः सांविधानिक न्यायपीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अर्थान्वयन पर उनके मतांतरों के प्रतिनिर्देश किया और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके परिणामस्वरूप पारित आदेशों के प्रतिनिर्देश किया। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के दो विनिश्चयों का हवाला दिया जिन्होंने श्री राजू रामचन्द्रन द्वारा हमारे समक्ष रखे गए निर्वचन को मान्य ठहराया है। दूसरे पक्ष ने उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा **के० अप्पा राव** बनाम **निदेशक, डाक-तार, उड़ीसा**[1] मुम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा **एम० एस० मलाथी** बनाम **आयुक्त, नागपुर मंडल**[2] वाले मामले में दिया गया विनिश्चय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **वी० पी० सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया जिनमें हमारे समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मत से भिन्न मत व्यक्त किया गया। इन सभी विनिश्चयों पर सांविधानिक न्यायपीठ ने विचार किया जो पश्चात्वर्ती मत से सहमत हुआ। उसने तारीख 22 फरवरी, 1985 वाली संसूचना में व्यक्त किए गए मत को कायम रखा। यदि याची की इस चुनौती को मानने से इनकार कर दिया गया है कि उक्त मत अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 के विरुद्ध हैं। तथापि उसने यह अवलोकन किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याची छात्र के भविष्य का प्रश्न अन्तर्वलित है, प्राधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे इस बात पर विचार करें कि याची "गौड़ी" है या नहीं और यदि है तो संस्था इस बात पर विचार कर सकती है कि उसे संस्था में अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति दी जाए तथापि इस संविधान के सुसंगत उपबंधों का निर्वचन करने पर इस न्यायालय ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया कि विधिक रूप से कहा जाए तो वह अनुसूचित जन-जाति के कोटे से प्रवेश पाने का हकदार नहीं था। पूर्वोक्त विनिश्चय में हम सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा व्यक्त उपरोक्त मत से ससम्मान सहमत हैं। हमारे समक्ष श्री राजू रामचन्द्रन द्वारा रखे गए समस्त मुद्दे भी उक्त मामले में रखे गए थे। सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा उनको मानने से इनकार कर दिया गया था। हमारे समक्ष ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया जिससे कि हम यह मानने के लिए सहमत हो जाएं कि सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए मत पर बृहतर न्यायपीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः हम संविधान के, विशेष रूप से अनुच्छेद 341 और 342 की बाबत उक्त निर्णय में विभिन्न उपबंधों के निर्वचन से पूरी तरह से सहमत हैं। इसलिए हमें इस रिट याचिका में कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं पड़ती है और हम इसे खारिज करते हैं। तथापि हम खर्चों की बाबत कोई आदेश नहीं करते हैं।

[1] ए० आई० आर० 1969 उड़ीसा 220.

[2] ए० आई० आर० 1989 बाम्बे 138.

[3] आई० एल० आर० 1976 (1) पंजाब.

रिट याचिकाएं खारिज की गईं।

1994 की सिविल अपील संख्या 4812-19.

महाराष्ट्र राज्य बनाम **कन्हइया देवजी भाई बोरिस और अन्य**

निर्णय

न्या० अहमदी—विशेष इजाजत मंजूर की गई।

2. मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2830/89, 4967/88, 5445/87, 3876/88, 2915/88, 2678/88, 3709/88 और 2776/89 तथा सिविल अपील संख्या 4339/89 में दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध की गई इन अपीलों में विवादग्रस्त प्रश्न समान है जैसा कि आज हमारे द्वारा निपटाई गई रिट याचिका संख्या 898/90 में था। उक्त रिट याचिका में दिए ए निर्णय के जरिए इस न्यायालय ने सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा **मैरी चन्द्र शेखर राव** बनाम **डीन, सेठ जी० एस० मैडिकल कालेज और अन्य**[1] वाले मामले में सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किए गए पूर्वतर मत को पुष्ट कर दिया है। इस मत का वह मुख्य मान-दण्ड जिस पर उच्च न्यायालय का निर्णय आधारित है अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए अपीलें मंजूर की जानी चाहिएं।

3. परिणामस्वरूप हम अपीलें मंजूर करते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि रिट याचिकाएं खर्चों की बाबत कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाएं।

द्वि०

अपीलें मंजूर की गईं।

---

[1] 1990 अनु० (1) स्केल 7=(1990) 3 एस० सी० सी० 130.